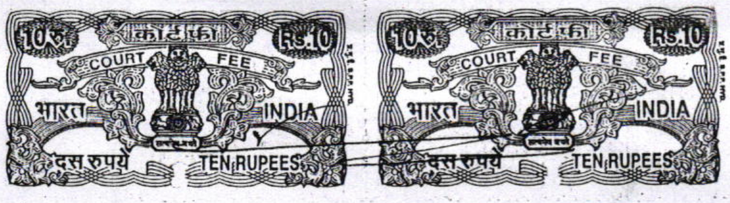

(85)

न्यायालय समक्ष :- माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर शिविर भोपाल ॥म0प्र0॥

पुनरीक्षण याचिका कमांक :- R. 2002-PBR/14

प्रस्तुत दिनांक :- 25/6/2014

अकलसिंह आयु लगभग 50 वर्ष आ0 गोकलसिंह यदुवंशी
निवासी ग्राम भीलटदेवपुरा तहसील सिवनी मालवा
जिला होशंगाबाद ॥म0प्र0॥ ------------पुनरीक्षणकर्ता/उत्तरवादी

विरूद्ध

श्री अवधेश मिश्रा अभिभाषक द्वारा आज दिनांक 25-6-14 को भोपाल कैम्प पर प्रस्तुत। 25-6-14

॥1॥-सरजूबाई आयु लगभग 50 वर्ष, पत्नि अशोक कुमार यदुवंशी
निवासी इन्द्राकालोनी बानापुरा तहसील सिवनी मालवा
जिला होशंगाबाद ॥म0प्र0॥

॥2॥-पार्वतीबाई आयु लगभग 60 वर्ष पत्नि भगतसिंह यदुवंशी
निवासी ग्राम गोदड़ी तहसील टिमरनी जिलाहरदा ॥म0प्र0॥

॥3॥-रामबाई आयु लगभग 55 वर्ष, पत्नि शैतानसिंह यदुवंशी
निवासी ग्राम कुई ग्वाड़ी तहसील टिमरनी जिला हरदा

॥4॥-बसुबाई आयु लगभग 45 वर्ष, पत्नि ओमप्रकाश यदुवंशी
निवासी ग्राम मिसरोद तहसील व जिला होशंगाबाद

॥5॥-बलरामसिंह आयु लगभग 25 वर्ष पिता निरवनाथसिंह
निवासी ग्राम बाबरी तहसील सिवनी मालवा जिला
होशंगाबाद ॥म0प्र0॥ ------------अनावेदकगण/अपीलार्थीगण

28-6-14

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0संहिता ।

पुनरीक्षणकर्ता/उत्तरवादी निम्न न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी सिवनी मालवा जिला होशंगाबाद द्वारा राजस्व प्रकरण ॥अपील॥ कमांक 55अ/06 वर्ष 2011-12 भीलटदेव में पारित आदेश दिनांक 19/5/2014 से परिवेदित होकर निम्नानुसार यह पुनरीक्षण याचिका माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करता है :-

संक्षिप्त तथ्य

॥1॥- अनावेदकगण द्वारा पुनरीक्षणकर्ता के विरूद्ध निम्न न्यायालय में दिनांक 4/9/2012 को एक अपील धारा 44 ॥1॥ भू राजस्व संहिता के अंतर्गत संशोधन कमांक 1 आदेश दिनांक 2/8/2006 से परिवेदित होकर प्रस्तुत की गई जिसके साथ एक आवेदन धारा 5 म्याद अधिनियम के अंतर्गत इन आधारों पर

अधिवक्ता

-- 2 पर

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2002-पीबीआर/2014 जिला होशंगाबाद

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25-10-18	आवेदक अधिवक्ता श्री बी0 एन0 मिश्रा एवं अनावेदक की ओर से के0 के0 यदुवंशी अधिवक्ता उपस्थित। आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है । उभयपक्ष दिनांक 27-12-2018 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	